



बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय
पंत भवन, द्वितीय तल, बेली रोड, बिहार, पटना - 800001



आवंटनादेश

सं०-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-

पटना, दिनांक-

प्रेषक,

भुवन कुमार,
उप निदेशक,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सहायक निदेशक-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,
बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक के अंतर्गत दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृतिदेश सं०-3/यो०स०क०-20/2022-10 दिनांक-13.04.2026 (संलग्न) के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना (सम्बल) के सामान्य घटक में कुल रू० 45,06,30,000/- (पैंतालीस करोड़ छः लाख तीस हजार रुपये) मात्र के राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। 'सम्बल' के सामान्य घटक के अंतर्गत दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना संचालित है। उक्त के आलोक में संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा (प्रा०) परीक्षा में उत्तीर्ण तथा योजना के पात्रता अंतर्गत स्वीकृत कुल 02 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु कुल रू० 2,00,000/- (दो लाख रुपये) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. भारित राशि की निकासी मांग सं०-51-समाज कल्याण विभाग, मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-02-समाज कल्याण, लघु शीर्ष-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, उप शीर्ष-0119-मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल), विषय शीर्ष-0119.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन, विपत्र कोड 51-2235021010119, पी०एफ०एम०एस कोड-BRPA00011481 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक-09.03.2026, 2956/वि० दिनांक-25.03.2026, 314/वि० दिनांक-01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों / परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

4. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

5. आवंटित राशि की निकासी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना से हस्ताक्षरित Pre Receipt Voucher के आधार पर की जायेगी।

6. इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना होंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार से राशि की निकासी कर दिव्यांगजन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना हेतु HDFC Bank में खोले गये Saving Account खाता सं०-50100719926037 IFSC Code-HDFC0005076 में राशि अंतरित की जायेगी। राशि का हस्तांतरण लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी०बी०टी०) के माध्यम से किया जायेगा।

8. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-270 के आलोक में योजना के अन्तर्गत राशि की निकासी BTC Form 42 पर करने की स्वीकृति दी जाती है।

9. भुगतान राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा महालेखाकार कार्यालय को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम सं०-271 के अनुसार BTC Form 42A में भेजा जायगा।

10. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. प्रस्ताव पर निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप निदेशक,

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.-

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०(बजट)-08/2026 स.क.- 15 पटना, दिनांक:- 15.09.2026

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / आई०टी० मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित (आवटनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित)।

उप निदेशक